अध्याय द्वितीय

शोध कार्य से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

में वह अध्ययन करने जा रहा हैउसमें किस प्रकार के शोधकार्य पूर्व में किये गये है । इसके अतिरिक्त शोधकर्ता को इस बात का ज्ञान होता है कि पूर्व में दिए गए संबंधित शोधकार्य में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है और न्यादर्श का निर्धारण किस प्रकार किया गया है । तथ्यों को एकत्रित करने की क्या तकनीक अपनायी गयी है और परिणामों का विश्लेषण किस प्रकार किया गया है । इसके साथ ही साथ यदि समानांतर समस्या पर कोई पूर्व अध्ययन किया गया है तो परिणामों की तुलना करके उन्हें मानक रूप दिया जा सकता है ।

जहां तक शोधकर्ता को जानकारी है प्रस्तुत समस्या के संबंध में हमारे देश में कोई शोधकार्य नहीं किया गया है । इस संबंध में कुछ शोधकार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए हैं । इन शोधकार्यों के आधार पर वाणिज्य के उद्देश्यों का निर्धारण किया है । इस अध्याय में हम इस प्रकार निर्धारित उद्देश्यों की चर्चा करेंगे ।

अध्याय द्वितीय

शोधकार्य से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

2.1 प्रस्तावना

शोधकार्य से संबंधित साहित्य का अध्ययन शोधकार्य की योजना एवं उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इससे शोधकर्ता को इस बात की जानकारी मिलती है कि जिस क्षेत्र

शोधकार्य से संबंधित साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया गया -

2.2 माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का इतिहास

2.3 वाणिज्य शिक्षा की परिभाषा

2.4 वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

2.4.1 व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

2.4.2 अकादमिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

2.5 वाणिज्य शिक्षा की समस्याएं

2.5.1 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं

2.5.2 अकादमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं

2.2 माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का इतिहास

किसी भी देश की शिक्षा योजना का आधार वहां का सामाजिक और आर्थिक ढांचा होता है । भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता काअनुभव बहुत बाद में किया गया । हमारे देश में कृषि का विकास जीविकोपार्जन के रूप में हुआ है , उद्योग के रूप में नहीं । अतः उसके लिए किसी प्रकार की वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। यदि यहां कृषि को उद्योग के रूप में लिया जाता तो शायद वाणिज्य शिक्षा का सूत्रपात काफी पहले हो जाता ।

वाणिज्य शिक्षा के अभाव का दूसरा कारण था वर्ण व्यवस्था प्राचीनकाल में इस व्यवस्था में वाणिज्य का उत्तरदायित्व केवल वैश्यों पर था । अब भी इस वर्ग में पारिवारिक अनुभव ही व्यापार का आधार होता है । वैश्य परिवार में बालक आज भी पारिवारिक अनुभव

से वाणिज्य की मूल बातें सीखता है वास्तव में भारत में औपचारिक वाणिज्य शिक्षा का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही संभव हो सका ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वाणिज्य शिक्षा का इतिहास

औद्योगिक विकास के साथ साथ देश में औपचारिक वाणिज्य शिक्षा के महत्व को समझा गया । जैसे ही मद्रास बम्बई एवं कलकत्ता जैसे नगरों में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ वैसे ही वहां पर वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया गया । वाणिज्य का प्रथम विद्यालय 1886 में मद्रास में पचिअप्पा चैरिटीज के ट्रस्टियों ने प्रारंभ किया । इस गैर सरकारी विद्यालय के प्रथमप्रधानाचार्य थे एस. के. अयर । लगभग इसी समय मद्रास सरकार ने भी वाणिज्य की परीक्षाएं प्रारंभ की ।

धीरे धीरे सारे देश में वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा और फरवरी 1895 में भारत सरकार ने वाणिज्य का पहला विद्यालय कालिकट में खोला । इसके बाद 1903 में प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता में भी वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ हुई । इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में उपर्युक्त नगरों के अलावा बंबई और दिल्ली में वाणिज्य शिक्षा प्रदान करने वाले कई विद्यालय खोले गये । प्रारंभ में उक्त विद्यालय में औपचारिक रूप से वाणिज्य के नाम पर केवल बहीखाता और गणित की शिक्षा तथा कुछ वाणिज्यिक गणना (कामर्शियल कैलकुलेशन्स) पर बल दिया जाता था । परंतु बाद में कुछ अन्य विषयों का भी महत्व समझा जाने लगा जिनमें टंकण कला

टाइप राइटिंग, आशुलिपि (शार्टहैंड) पत्रलेखन और वाणिज्य पद्धति आदि मुख्य थे।

अब वाणिज्य शिक्षा का प्रसार केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि निजी संस्थाओं ने भी वैज्ञानिक रूप से यह कार्य प्रारंभ किया। इन संस्थाओं में वाणिज्य के उन विषयों की ट्रेनिंग पर अधिक बल दिया गया जिनकी बाजार में अधिक आवश्यकता थी अर्थात् जिनमें उत्तीर्ण होने पर रोजगार प्राप्त करना सुगम हो जाता था। साधारणतया इन संस्थाओं में टंकण, आशुलिपि, सचिवालयीय पद्धति (सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस) और बहीखाता जैसे विषयों में दक्षता प्रदान की जाती थी। इनमें से कुछ संस्थाएं सरकार द्वारा अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली वाणिज्य की परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करती थीं तो कुछ अन्य संस्थाएँ ऐसी भी थीं जो योग्यता प्रमाण पत्र स्वयं देती थीं।

सन् 1935 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर विभिन्न धाराओं में विभाजित करने की सिफारिश की। इसी प्रकार 1936 में उसने यह भी विचार प्रकट किया कि वाणिज्य संस्थाओं को चाहिए कि वे वाणिज्य के स्नातकों को रोजगार दें इसी वर्ष व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी एक समिति की नियुक्ति हुई जिसकी सिफारिशों पर 1938 में विचार किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षा के अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया परंतु उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया।

सन् 1943 में तकनीकी शिक्षा के लिए जिसमें वाणिज्य शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया था, भारतसरकार ने सर जान सार्जेन्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति का प्रतिवेदन

1944 में प्रकाशित हुआ । इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ एक सिफारिश यह भी की कि माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होने चाहिए - एक शैक्षिक माध्यमिक विद्यालय (एकेडेमिक स्कूल) और दूसरे तकनीकी माध्यमिक विद्यालय (टेक्निकल हाई स्कूल) इन दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों की सूची में बहीखाता टंकण, आशुलिपि, वाणिज्य पद्धति आदि विषयों को भी सम्मिलित किया गया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वाणिज्य शिक्षा का इतिहास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में औद्योगिक विकास की गति तेज होने के कारण वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता पर और अधिक जोर दिया गया । इस युग में वाणिज्य शिक्षा के विकास का अध्ययन हम उच्च माध्यमिक स्तर पर करेंगे ।

उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का इतिहास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकतर विद्यालयों में वाणिज्य एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया । उत्तरप्रदेश में सबसे पहले 1948 में वाणिज्य के अंतर्गत कई विषय प्रारंभ किये गये । 1953 तक माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक यही स्थिति रही । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के अनेकीकरण की सिफारिश की । 1954 में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशों को मान लिया और 1955 में उन्होंने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू करने की सिफारिश की । इन सिफारिशों के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ अनिवार्य विषयों का समावेश किया गया जिनका अध्ययन समस्त छात्रों के लिए आवश्यक था । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को सात धाराओं में विभक्त कुछ वैकल्पिक विषय भी निश्चित किये । इनमें से एक धारा वाणिज्य

को थी जिसमें कई विषय थे । प्रत्येक विद्यार्थी को इनमें से तीन विषय लेना अनिवार्य था । इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्रों को वाणिज्य में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना औरसाथ में ऐसे विद्यार्थियों को, जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं ले सके । रोजगार के लिए तैयार करना भी था । कई राज्यों ने इन सिफारिशों को माना और वाणिज्य विषय एक वैकल्पिक धारा के रूप में विकसित हुआ ।

शिक्षा आयोग ने (1964-66) · शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन की सिफारिश की । उन्होंने शिक्षा का एक नया ढांचा दिया जो 10+2+3 ढांचे के नाम से जाना है । इस सिफारिशों पर कितो कारणों से कुछ वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया । 1968 में केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर एक प्रस्तावपास किया जिसको लोकसभा के दोनों सदनों नेस्वीकृति दी । 1973 में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय नेशिक्षा के 10+2 ढांचे के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की । इस दल ने अपने विचारों को एक लेख में व्यक्त किया , जिसको राज्य सरकारों, अध्यापकों ,आयोजकों और शैक्षिक प्रशासकों में राय जानने के लिए प्रकाशित किया । 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस ढांचे के अनुरूप पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री को तैयार किया । इस प्रकार तैयार की गई पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों की एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता का अनुभव किया गया ,परिणामतः 1977 में श्री ईश्वर भाई जे.पटेल (जो गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने थे) की अध्यक्षता में एक 30 सदस्यों की कमेटी का गठन इस पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया । इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में छात्रों में विशेष योग्यताओं का विकास करने के उद्देश्य से वाणिज्य को भी वैकल्पिक विषयों की सूची में रखा है ।

इसी वर्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने एक और कमेटी का गठन +2 स्तर के पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए किया । इस राष्ट्रीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष डा. मालकोम एस. आदिसेषया (मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति) थे और कमेटी में 27 सदस्य थे ।

इस कमेटी का मुख्य कार्य +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की समीक्षा करना था । इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में वाणिज्य और सहोदरता को सामान्य शिक्षा कोर्स की तुरी में एक विकल्प के रूप में रखा । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक कोर्स में भी वाणिज्य को स्थान दिया गया । इस कोर्स मे बैंकिंग, कार्यालय प्रबंध और सचिवीय व्यवहार, आशुलिपि और टंकण, सहोदरता और लेखा परीक्षण, टेलेक्स और टेलीफोन आपरेटर, कार्यालय मशीन आपरेटर, विपणन और विक्रय कला और रूप एवं भंडार रक्षण से संबंधित व्यावसायिक विषयों को व्यवसाय एवं कार्यालयप्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया गया । इस प्रकार + 2 स्तर पर वाणिज्य को साधारण शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, दोनों में स्थान दिया गया है । कई राज्यों ने इन सिफारिशों को मान लिया है और इनके अनुसार शिक्षा में परिवर्तन किये गये हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज "शिक्षा की चुनौतियों के अन्तर्गत कोठारी आयोग व्यावसायिक शिक्षा समिति द्वारा (लर्निंग टू डू) आदि के परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वयन पर वास्तविक टिप्पणी करते हुए इसमें आमूल चूल परिवर्तन व नवीनीकरण करने पर बल दिया गया । 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पुनः +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने पर बल दिया गया है ।

वर्तमान में भारत में लगभग 1900 व्यावसायिक संस्थान है जिनमें लगभग 72000 विद्यार्थी कक्षा 11 में तथा लगभग 63000 विद्यार्थी कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं ।

2.3 वाणिज्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

वाणिज्य शिक्षा की परिभाषा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है । वाणिज्य शिक्षा की समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है । जो इस प्रकार है -

हेरिक (1904) के अनुसार

वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करें । "

इस परिभाषा में उन तमाम प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया गया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करती है । इस परिभाषा में सारा महत्व उन व्यक्तियों के कार्य-प्रशिक्षण को दिया गया है जो पहले से व्यापारी का कार्य करते हैं। हेरिक महोदय वाणिज्य शिक्षा को केवल व्यापारियों तक ही सीमित रखते हैं और अन्य प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित नहीं करते । अतः इस परिभाषा को स्वीकार करना कठिन प्रतीत हुआ।

पुस्तकालय
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर
परिग्रहण संख्या 15546
दिनांक 16/2/93

लॉन (1922) के अनुसार

वह शिक्षा जो व्यापारी के पास है और जो उसको अधिक उपयुक्त व्यापारी बनाती है उसके लिए वाणिज्य शिक्षा है, चाहे वह विद्यालय की चहार दीवारी में प्राप्त की गई हो अथवा नहीं । विद्यालयी अध्यापन के उद्देश्य से इस परिभाषा को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार व्यापार से संबंधित कोई भी जानकारी कहीं और किसी भी प्रकार से प्राप्त की जाय वह वाणिज्य शिक्षा होगी । इस परिभाषा का सबसे बड़ा निर्बल पक्ष यह है कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएऔर कार्य प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए ।

लोमेक्स (1928) के अनुसार

"वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है, जो धन उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है।"

इस परिभाषा में लोमेक्स ने वाणिज्य शिक्षा को आर्थिक शिक्षा की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया है तथा वाणिज्य शिक्षा को संकीर्ण परिभाषा के विरुद्ध मत प्रगट किया। वे वाणिज्य शिक्षा को केवल "लिपिक प्रशिक्षण" ही नहीं मानते बल्कि उसके अंतर्गत आर्थिक समस्याओं की जानकारी देना भी आवश्यक समझते हैं। अतः यह परिभाषा अधिक विस्तृत कही जा सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभवी वाणिज्य शिक्षकों की एक राष्ट्रीय समिति ने वाणिज्य शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार की है-

"वाणिज्य शिक्षा शिक्षा-प्रक्रिया का वह पक्ष है जो और व्यावहारिक धंधों की व्यावसायिक तैयारी से संबंधित है तो वाणिज्य शिक्षण से संबंधित धंधों के लिए तैयार करता है तथा दूसरी ओर ऐसी वाणिज्य संबंधी सूचनाओं से संबंधित है जो प्रत्येक नागरिक और उपभोक्ता के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक वातावरण को ठीक प्रकार से समझने हेतु महत्वपूर्ण है।"

यह परिभाषा एक उपयुक्त परिभाषा है क्योंकि यह वाणिज्य के दो मुख्य उद्देश्यों की ओर संकेत करती है। एक और यह इसकी व्यावसायिक प्रकृति को निरूपित करती है जो विशेषत्व से लिपिकीय, सचिवीय, अभिलेखन और विक्रय जैसे चार प्रकार के व्यवसायों के प्रशिक्षण को सम्मिलित करती है। दूसरी ओर यह वाणिज्य को धन साधारण के लिए उपयुक्त सामान्य प्रकृति को भी समाविष्ट करती है जो उपभोक्ता सूचनाओं, व्यक्तिगत वाणिज्यिक मामलों, आर्थिक अभिरुचियों और वाणिज्य से संबंधित व्यक्तिगत दक्षता और क्षमता से संबंधित है।

अतः हम कह सकते हैं कि वाणिज्य शिक्षा , शिक्षा-प्रक्रिया का वह स्वरूप है जिसके द्वारा छात्रों को वाणिज्य से संबंधित धंधो के लिए तैयार किया जाता है और साथ ही साथ उनमें लोकतंत्र के लिए आवश्यक आर्थिक नागरिकता का भी विकास किया जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि वाणिज्य-शिक्षा एक ऐसी विशिष्ट शिक्षा है जिसके द्वारा छात्रों को व्यावसायिक कुशलता प्रदान की जाती है और उनमें उन गुणों का विकास किया जाता है जो उन्हें सामाजिक वातावरण में समंजन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं ।

2.4 वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसकी क्रियायें निरुद्देश्य नहीं होती है । मानव की समस्त क्रियाओं की पृष्ठभूमि में कोई लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देता है तथा उसका मार्गदर्शन भी करता है ।

वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य आर्थिक स्त्रोत, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक वातावरण व परिस्थितियां सामाजिक विचार धाराओं द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं ।वाणिज्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों या लक्ष्यों की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

1. व्यावसायिक शिक्षा
2. अव्यावसायिक या सामान्य शिक्षा

व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा और अव्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा की जो परिभाषा अमेरिका के व्यावसायिक संगठन द्वारा की गयी है, इस प्रकार है -" व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को वाणिज्यिक धंधो के लिए ऐसी आवश्यक कुशलता,

ज्ञान और अभिवृति (एटीट्यूड) से सम्पन्न कर सके जो प्रारंभिक रोजगार प्राप्त करने और उनमें उन्नति करने के लिए आवश्यक है । " दूसरी ओर सामान्य वाणिज्य शिक्षा का अभिप्राय: ऐसी शिक्षा से है" जो छात्रों को ऐसी सूचनाओं और क्षमताओं से सज्जित कर सके जो वाणिज्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत कार्यों और सेवाओं से संबंधित हैं और जिनकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है।

उपर्युक्त दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्य शिक्षा में जहाँ एक ओर छात्रों को वाणिज्य से संबंधित धंधों के लिए आवश्यक कुशलताओं से सज्जित करना होता है वहाँ दूसरी ओर उनमें इस प्रकार की योग्यताओं का विकास भी करना होता है जिसमें वे अपने जीवन में वाणिज्य से संबंधित अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकें । बहुत से विद्वान ऐसे भी है जिनके अनुसार सामान्य शिक्षा का तात्पर्य एक ओर बुद्धिमान उपभोक्ता तैयार करना और दूसरी ओर उनको देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी कराना है ।

वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

हमारे देश में विद्यालयों में +2 स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है । इस स्तर पर जो वाणिज्य शिक्षा करायी जाती है । वह निम्नलिखित दो भागों में विभाजित की जाती है -

1. व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा
2. अकादमिक वाणिज्य शिक्षा

अब हम व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा और अकादमिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पृथक पृथक चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित विभिन्न क्रियाओं की विवेचना भी करेंगे ।

1. व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

कोठारी आयोग (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन में व्यावसायिक शिक्षा की सफलता की कामना की है और इस प्रकार बल दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षा में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू करने चाहिए, जिन्हें समाप्त करने के उपरांत छात्र व्यवसायों में नियुक्तियाँ ले सके या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इस प्रकार कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया, जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों से संबंधित होगी। वाणिज्य इनमें से एक है। अतः वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

व्यावसायिक शिक्षा पर 1977 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने एक कमेटी का गठन +2 स्तर पर पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए किया। इस राष्ट्रीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष डा. मालकोम एस. आदिशेषिया थे। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें (लर्निंग टू डू) नामक प्रकाशन में दी। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताये -

1. व्यावहारिक प्रशिक्षण
2. रोजगार से जोड़ना
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के पूरक होने
4. स्वरोजगार की वृत्ति अपनाने
5. उच्च शिक्षा पर भार कम करने आदि को प्रमुखता दी गई।

उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (1988)° भारतीय आधुनिक शिक्षा, के अप्रैल अंक में (पृष्ठ 7 से 9) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986-87) के अनुसार मुखरित व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986-87)

1. व्यक्ति विशेष की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना ।
2. कुशल कारीगरों की मांग व पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना ।
3. उनके लिए जो बिना किसी रुचि अथवा ध्येय के उच्च शिक्षा धारा रहते हैं एक वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त करना ।
4. छात्रों को ऐसी शिक्षा व कुशलताओं से सज्जित करना ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।
5. तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित दोनों कार्य क्षेत्रों में कुशल औरमध्यम स्तर के मानवसंसाधन की मांग को पूरा करना ।
6. शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना ।
7. ऐसी शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे छात्र रोजगार अथवा नौकरी के लिए सुयोग्य सिद्ध हो ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. व्यावहारिक उपयोगिता का उद्देश्य
2. व्यवसाय परिवर्तन में अनुकूलता
3. व्यवसाय के चयन में सहायता करना ।

2.4.1 व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

निर्देशों में वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो शोधकार्य हुए हैं वे वाणिज्य के विषयों से संबंधित हैं जो इस प्रकार हैं -

1. बहीखाता विषय से संबंधित उद्देश्य

थोमसन (1965) ने 1953 से 1963 तक के साहित्य का पुर्न निरीक्षण किया और यह पाया कि बहीखाता के उद्देश्यों में व्यावसायिक तैयारी, सामान्य आर्थिक ज्ञान, अवबोध व्यक्तिगत उपयोग संबंधी जानकारी और महाविद्यालय में प्रवेश की तैयारी को सम्मिलित किया ।

कोवेमन (1966) ने 30 तीस बहीखाता के शिक्षकों पर शोधकार्य किया । उनके अनुसार बहीखाता का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक था । माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बहीखाता अध्यापन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं -

1. बहीखाता विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
2. व्यावसायिक शिक्षा के लिए
3. व्यक्तिगत उपयोग के लिए

2. कार्यालयीय पद्धति

कार्यालय पद्धति के उद्देश्य सामान्यतया वाणिज्य विषय के अन्य उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं ।

लासाले (1963) लिखते हैं व्यापारी और वाणिज्य के प्रशिक्षक इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यापारिक कार्यालयों में रोजगार के लिए तैयार करना है । वो इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक स्तर पर समस्या समाधान और तार्किक चिंतन संबंधी कौशलों पर भी बल दिया जाना चाहिए । इस प्रकार कार्यालय पद्धति के उद्देश्यों मे कौशलों

के साथ साथ चिंतन शक्ति पर बल देना आवश्यक है क्योंकि मशीनों पर कार्य करते समय उन्हें हस्त कौशल (दस्तकारी) करने पड़ते हैं ।

एक अच्छी कार्यालीय पद्धति के निम्न उद्देश्य स्वीकार किये जाते हैं -

1. छात्रों को व्यावसायिक जगत और कार्यालय के वातावरण से परिचित कराने में मदद करना ।
2. छात्रों में कार्यालय-रोजगार में सफलता प्राप्त कराने वाले व्यक्तिगत गुणों के विकास में मदद करना ।
3. छात्रों में ऐसी दक्षता प्राप्त करने में मदद करना जिससे वे पूर्ण निपुणता और उत्तरदायित्व के साथ कार्यालयीय कार्यों को सम्पन्न कर सके ।
4. गणित, भाषा तथा व्याकरण जैसे मूल विषयों के उपयोग करने की कुशलता के विकास में मदद करना ।
5. सभी प्रकार के व्यापारिक यंत्रों को ठीक प्रकार से परिचालित करने के कौशल का विकास करने में मदद करना। इन व्यापारिक यंत्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले यंत्रों के साथ साथ ऐसे यंत्रों को भी सम्मिलित करना चाहिए जो व्यापारिक कार्यालयों में कम उपयोग में लाए जाते हैं ।
6. आशुलिपि और टंकण जानने वाले छात्रों में विशेष कौशल का विकास करने में मदद करना ।
7. छात्रों को कार्यालय संबंधी रोजगारों को प्राप्त करने में मदद करना और तत्संबंधी कौशलों के विकास के लिए सामाजिक साधनों का उपयोग करना ।

8. देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में लिपिकीय वर्ग कार्यकुशलता के महत्वपूर्ण योगदान को समझने में सहायता करना ।

आशुलिपि एवं टंकण(स्टेनोग्राफी) विषय का प्रमुख उद्देश्य

1. छात्रों को आशुलिपि एवं टंकण संबंधी व्यवसाय के लिए तैयार करना कुक(1964) के अनुसार स्टेनोग्राफी से संबंधित व्यावसायिक कार्यक्रम को निम्न क्षेत्रों क्षमता (योग्यता, सामर्थ्य) का विकास करना है ।
   1. सामान्य शिक्षा विषयों का ज्ञान, अवबोध जो हाई स्कूल में पढ़ायाजाता है ।
   2. संवादीय कुशलताओं का उत्तम ज्ञान-लिखित व मौखिक
   3. प्रभावपूर्ण अध्ययन संबंधी कुशलताओं का उत्तम ज्ञान
   4. वाणिज्य संबंधी समाज का उत्तम ज्ञान इसका अर्थ यह है कि उसको वाणिज्य में तेजी से होने वाले परिवर्तनों का ज्ञानहोना चाहिए और उन परिवर्तनों का वाणिज्य पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए ।
   5. आशुलिपि, टंकण और कार्यालय पद्धति से संबंधित नियोक्ता द्वारा वर्तमान और भविष्य में अपेक्षित कौशलों का विकास करना ।

टंकण के उद्देश्य

1. टंकण में उपयुक्त कौशल प्रदान कर छात्र को उपयुक्त रोजगार के लिए तैयार करना ।
2. व्यक्तिगतजीवन में प्रयोग करने के लिए टंकण का शिक्षण

आशुलिपि अध्ययन के उद्देश्य

व्यावसायिक कौशल के इस उद्देश्य के अंतर्गत तत्संबंधी अनेक योग्यताओं का विकास अनिवार्य है –

1. विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को पहचानने की क्षमता का विकास करना जिससे वे उन्हें आशुलिपि में ठीक प्रकार से लिख सकें ।
2. व्यावसायिक शब्दावली का निर्माण करना ।
3. आशुलिपि को सप्रवाह पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना ।
4. विद्यार्थियों में आशुलिपि की स्वरेखाओं को ठीक प्रकार से निर्मित करने की क्षमता का विकास करना जिससे वे सीधी टेढ़ी और वृत्ताकार रेखाओं को उसी रूप में लिख सकें ।
5. आशुलिपि की प्रतिलिपिका करने के पूर्व छात्रों में भाषा वर्तनी और विराम चिन्हों आदि के शुद्ध प्रयोग की योग्यता का विकास करना ।
6. आशुलिपि संबंधी वांछित आदतों और गुणों का विकास करना ।
7. छात्रों को व्यावसायिक जगत में आशुलिपि के महत्व और उसकी सीमाओं से अवगत कराना ।
8. टंकण मशीन पर आशुलिपि से लिये प्रतिलिपिका करने की योग्यता का विकास करना ।

हमारे देश में विभिन्न विषयों के आधार पर व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण नहीं किया गया है । व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्यों का भी वर्तमान समय पर कोई शोधकार्य नहीं किया गया है ।

उपरोक्त सभी उद्देश्य वाणिज्य संबंधी व्यावसायिक शिक्षा पर भी लागू होते हैं ।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अकादमिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं -

1. छात्रों को वाणिज्य संबंधी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना
2. छात्रों को वाणिज्य संबंधी भावी शिक्षा के लिए तैयार करना
3. छात्रों को साधारण वाणिज्य -शिक्षा का ज्ञान कराना
4. छात्रों को वाणिज्य शिक्षा के व्यक्तिगत उपयोग से परिचित कराना है ।

1. छात्रों को वाणिज्य संबंधी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना

उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को वाणिज्य से संबंधित व्यवसायों के लिए तैयार करना होना चाहिए । इस स्तर पर अभी तक मुख्य रूप से दो विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाने की कोशिश की जा रही है । एक टंकण एवं आशुलिपि और दूसरा बहीखाता । अभी तक इस स्तर पर जितने भी विषयों की शिक्षा दी जा रही है, या तो वे सैद्धांतिक हैं या वे सैद्धांतिक रूप से पढ़ाये जा रहे हैं । इस कारण छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं का विकास नहीं हो पाता और फलस्वरूप वे अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में सफलनहीं हो पाते हैं । कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने शिक्षा के नवीन ढाँचे 10+2+3 को मान्यता प्रदान कर दी है । +2 स्तर पर वाणिज्य को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है । आंध्रप्रदेश कमेटी ने यह सिफारिश की है इस स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम बैंकिंग, कार्यालय प्रबंध और सचिवीय व्यवहार, आशुलिपि और टंकण, बहीखाता और लेखा परीक्षण, टेलेक्स और टेलीफोन आपरेटर

कार्यालय मशीन आपरेटर, विपणन और विक्रय कला और क्रय एवं भंडारण रक्षण से संबंधित हो । अतः अब आवश्यकता है इस बात की है कि इन विषयों को विभिन्न विद्यालयों में प्रारंभ किया जाए और छात्रों में व्यवसायों से संबंधित आवश्यक क्षमताओं और कुशलताओं का विकास किया जाए ।

अब वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम कई राज्यों ने प्रारंभ कर दिये हैं ।

2. भावी शिक्षा का उद्देश्य

वाणिज्य शिक्षा का दूसरा मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है । जो शिक्षा उच्च माध्यमिक स्तर पर दी जाती है उसे स्नातक स्तर पर दी जानेवाली शिक्षा का आधार होना चाहिए । पाठ्यक्रम के विश्लेषण से ऐसा अनुभव होता है कि शायद वाणिज्य का पाठ्यक्रम किसी भी स्नातक इस उद्देश्य की पूर्ति करता भी है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य धारा लेते हैं वे स्नातक स्तर पर भी वाणिज्य संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं ।

विश्व विद्यालय स्तर पर वाणिज्य में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश देना होगा जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य का अध्ययन किया है । ऐसा निश्चित करने के बाद हमें स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को संशोधित करना होगा और पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से करना होगा कि जो क्रियाएं उच्च माध्यमिक स्तर पर समाप्त कर दी जाती है उन्हें स्नातक स्तर पर फिर से दोहराया न जाय । इस स्थिति में मेरा सुझाव यह होगा कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाय और उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए । साथ ही विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को साथ बैठकर उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का गठन भी इस प्रकार

करना होगा कि वह भावी शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ आधार बन सके ।

3. सामान्य वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य

वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की साधारण जानकारी करना भी वाणिज्य शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है । इस प्रकार की शिक्षा का महत्व न केवल इसलिए है कि हर व्यक्ति को वाणिज्य की सेवाओं की आवश्यकता होती है बल्कि इसलिए भी है कि विद्यार्थियों का एक बड़ा प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए नहीं जाता है । इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वाणिज्य संबंधी सेवाओं की जानकारी देनी होगी, साथ ही देश की आर्थिक नीतियों और समस्याओं की जानकारी देना भी आवश्यक होगा जिससे देश के लिए जागरूक नागरिकों का निर्माण किया जा सके । इस प्रकार की जानकारी के बिना नागरिक देश के आर्थिक पहलू के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे । मेरी मान्यता तो यह है कि इस प्रकार की शिक्षा वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी अन्य धारा के विद्यार्थियों के लिए । अतः वाणिज्य की सामान्य शिक्षा एक अलग विषय होना चाहिए जिसका अध्ययन सभी विद्यार्थियों के आवश्यक हो जिस प्रकार सामान्य विज्ञान या सामाजिक ज्ञान ।

4. व्यक्तिगत उपयोग का उद्देश्य

उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि छात्र इस स्तर पर विकसित की गयी क्षमताओं और कुशलताओं का स्वयं अपने जीवन में उपयोग कर सके । आज की वाणिज्य शिक्षा कुछ सीमा तक इस उद्देश्य की पूर्ति करने में भी असफल रही है ।

मेरा अभिप्राय यहां सिर्फ इतना है कि हर एक विद्यार्थी में उन क्षमताओं का विकास अवश्य किया जाए जो आज के आर्थिक युग में आवश्यक है । व्यावसायिक दृष्टिकोण से छात्रों में एक या दो व्यवसायों के योग्य आवश्यक क्षमता का विकास किया जाए तथा वाणिज्य की अन्य कुशलताओं और क्षमताओं का विकास इस सीमा तक अवश्य किया जाय कि छात्र इनका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकें ।

इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को वाणिज्य से संबंधित व्यवसायों के लिए तैयार करने के साथ साथ भावी शिक्षा के लिए तैयार करना, सामान्य वाणिज्य शिक्षा देना और व्यक्तिगत उपयोग से संबंधित शिक्षा देना भी है ।

2.4.2 अकादमिक वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य

अकादमिक वाणिज्य शिक्षा का अभिप्राय: ऐसी शिक्षा से है जो छात्रों को ऐसी सूचनाओं और क्षमताओं से सज्जित कर सके जो वाणिज्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत कार्यों और सेवाओं से संबंधित है और जिनकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है । सामान्य वाणिज्य शिक्षा का तात्पर्य एक और बुद्धिमान उपभोक्ता तैयार करना और दूसरी ओर उनको देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी कराना है । अकादमिक वाणिज्यिक का विषयों के अध्यापन उद्देश्यों को मोटे रूप में दो भागों में बांट सकते हैं -

1. सामान्य वाणिज्यिक विषयों के अध्यापन उद्देश्य - सामान्य वाणिज्यिक, विषयों के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक नागरिक का विकास करना है । विशेष रूप से इस प्रकार के उद्देश्य निम्न हैं -

   1. वाणिज्य की प्रकृति और कार्यों से परिचित कराना जिससे वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में वाणिज्य के महत्व को समझ सकें ।

2. छात्रों को मुद्रा और बैंक के कार्यों का ज्ञान देना और बैंक संबंधी सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता का विकास करना ।

3. छात्रों को व्यापार में साख के महत्व का ज्ञान कराना और उसके व्यक्तिगत और वाणिज्यिक उपयोग को समझाना ।

4. छात्रों को आर्थिक जोखिम से अवगत कराना और इस बात को समझाना कि बीमा व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार आर्थिक जोखिम से बचाता है ।

5. छात्रों को बचत के महत्व का ज्ञान कराना और बचत के विनियोजन संबंधी आधारों को समझाना ।

6. छात्रों को विभिन्न प्रकार के संवादवाहन और यातायात के साधनों की जानकारी कराना जिससे वे इनका उपयोग व्यक्तिगत जीवन में ठीक प्रकार से कर सकें ।

7. छात्रों को व्यक्तिगत जीवन में पत्र व्यवहार के महत्व को समझाना और उन्हें पत्रों की संरचना की विधियों से अवगत कराना।

8. छात्रों को डाकघर संबंधी जानकारी देना जिससे वे इससे संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकें ।

2. वितरण संबंधी वाणिज्यिक विषयों के अध्यापन उद्देश्य

वितरण संबंधी विषयों के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

1. विषय संबंधी आवश्यक क्षमताओं, कौशलों और अवबोधों का विकास करना जिससे रोजगार प्राप्त किया जा सके ।

2. विषय में भावी शिक्षा के लिए उत्तम आधार प्रस्तुत करना, जिससे छात्र सरलता से विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करसकें ।

1. Sluder, L.I. An Analysis and Synthesis of Research Findings pertaining to general Business :

Doctor's Thesis Bloomington, Indian University 1965. Taken from James N.Crews. The Teaching of General Business and Economic Education reproduced by Calfrey C. Calhoun and Mildred Hillestand(Editors) in Contributions of Research to Business Education, National Business Education Year Book No.9, National Business Education Association Washington,D.C. page 89.

स्लुडर (Sluder) ने डाक्टर शोधकार्य (Doctor's Thesis) में सामान्य वाणिज्य शिक्षा के संबंध में विश्लेषण और संश्लेषण कर कई निष्कर्ष निकाले । उन्होंने सामान्य वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्यों का विशेष सर्वे किया । उनके अनुसार सामान्य वाणिज्य शिक्षा के निम्न उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है और सामान्यतया उन्होंने उद्देश्यों के महत्व को ध्यान में रखकर वरियता क्रम में इस प्रकार बताया

1. ऐसी सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं और मुख्य आर्थिक प्रत्ययों के अवबोधों का विकास करना, जिसकी आवश्यकता एक औसत उपभोक्ता को दैनिक जीवन में व्यावसायिक मामले को पूर्ण करने में होती है ।
2. शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना जिससे छात्र इस योग्य हो सके कि वे वाणिज्य से संबंधित व्यवसायों के बारे में, सूचनाओं के बारे में अवगत हो सके ।

3. वाणिज्य शिक्षा अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करना।

4. ऐसी वांछित अभिवृत्तियों, व्यक्तिगत गुणों, आदतों और रुझानों का विकास करना जो घर और समाज में वाणिज्य मामलों से संबंधित हो ।

5. ऐसी पूर्ण व्यावसायिक प्रकृति की क्षमताओं और वाणिज्यिक ज्ञान का विकास करना जो भविष्य में वाणिज्य से संबंधित नौकरियों के लिए उपयोगी हो ।

6. समाज में वाणिज्य के आधार का स्पष्ट अवबोध कराना और सरकार तथा वाणिज्य से संबंधित आर्थिक मामलों के प्रति औसत नागरिक के उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना ।

7. अंकगणित, वर्तनी, पेनमेनशिप, शब्दावली और अंग्रेजी के उपयोग से संबंधित मुख्य कौशलों में सुधार करना ।

इस प्रकार की पाठ्यचर्या का मूल उद्देश्य छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना है, इसकी पूर्ति दो प्रकार से की जा सकती है - एक उन सभी वाणिज्यिक पद्धतियों और तरीकों का जो प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, विकास करें और दूसरे जो व्यक्ति वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अपनाना चाहते हैं उन्हें आधार दें ।

2.5 वाणिज्य शिक्षा की समस्यायें

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा और इसकी प्रगति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार हुआ । पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से हुआ इस कारण शिक्षा के प्रयासों में कमी आई है क्योंकि प्रसार अधिक होने पर गुणवत्ता प्रभावित

होती है । वाणिज्य शिक्षा का प्रसार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ और इस कारण विद्यालयों को वाणिज्य शिक्षा से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । शोधकर्ता ने वाणिज्य संबंधी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश की परंतु कोई शोधकार्य शोधकर्ता के नजर में नहीं आया ।

माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के संबंध में एक शोधकार्य दवे और जैन (1968) में किया और उन्होंने समस्याओं को सूची प्रस्तुत की जो इस प्रकार है -

1. पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का अभाव
2. विभिन्न विषयों में कमजोरी
3. घर से स्कूल की दूरी
4. उपयुक्त प्रशासन का अभाव
5. उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की कमी
6. उपयुक्त भवन व फर्नीचर की कमी
7. सक्षम शिक्षकों का अभाव
8. अच्छी श्रेणी से उत्तीर्ण न होना
9. उपयुक्त पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव
10. विद्यालयों में विभिन्न धाराओं का अभाव
11. भारी शिक्षा शुल्क
12. बहुत अधिक गृहकार्य की समस्या
13. उपयुक्त प्रयोगशालाओं का अभाव
14. विद्यालय पोशाक की समस्या
15. विद्यालय का समय
16. विद्यालयों में विभिन्न वैकल्पिक विषयों की कमी

17. एन. सी. सी. का विद्यालय में उपलब्ध न होना
18. अच्छे सामाजिक संबंधों का अभाव
19. खराब हस्तलेखन
20. उपयुक्त छात्रावास सुविधाओं का अभाव
21. अपराह्न (दोपहर) भोजन की समस्या
22. सह-शिक्षा की समस्या
23. अपूर्ण शिक्षा
24. सहकारी भंडारों की सुविधा का अभाव
25. साइकिल स्टैंड का अभाव
26. भारी चंदे (दान) की समस्या
27. छात्रवृत्तियों का अनुचित वितरण
28. विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का अभाव
29 माध्यमिक परीक्षा के लिए आयु सीमा का निर्धारण
30 कम परीक्षावधि

उपरोक्त सभी समस्यायें 8, 9, 10 की कक्षा के छात्रों से संबंधित थी । उस समय में 9 वीं व 10 वी कक्षा में वाणिज्य का शिक्षण कराया जाता था और इन छात्रों में वाणिज्य के छात्र भी सम्मिलित हैं । अतः वाणिज्य के संबंध में यह सभी समस्यायें उस समय थी ।

2.5.1 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्यायें

राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से अकादमिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की वाणिज्य शिक्षा +2 स्तर पर चल रही है । इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं की समस्याओं के संबंध में कोई भी शोधकार्य जहां तक शोधकर्ता की जानकारी है अभी तक नहीं किया गया है ।

पूर्व में कुछ आयोगों ने देश में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया था ।

कोठारी आयोग (1964-66) ने व्यावसायिक शिक्षा की मंदगति के निम्न कारण बतायें हैं-

1. गंभीरता का अभाव
2. अध्यापकों की शिक्षा का अभाव
3. उचित पथ-प्रदर्शन का अभाव
4. सहयोग का अभाव
5. वित्त की कमी

ईश्वर भाई पटेल समिति (1977) ने व्यावसायिक शिक्षा की मंद गति के निम्न कारण बतायें हैं । उनका उल्लेख कुल्लर ने (1987) में अपने लेख "शिक्षा का व्यावसायीकरण " में किया है, जो इस प्रकार है -

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से निकले लोगों की बेरोजगारी
2. समन्वित प्रबंध प्रणाली का अभाव
3. मांग व पूर्ति में सामंजस्य का अभाव
4. परिकल्पना को स्वीकार करने में समाज की अनिच्छा
5. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से निकले लोगों के लिए प्रस्तावित विकास और आजीविका उन्नति के लिए उचित प्रावधान का अभाव

भारत सरकार के परिपत्र " क्रियान्वित कार्यक्रम" (1986) के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की मंद विकास के कारण निम्न हैं -

1. आपसी तालमेल रखती हुई प्रबंधकीय प्रणाली की अनुपस्थिति
2. व्यावसायिक शिक्षा में सफल होने पर बेरोजगारी

3. मांग व वितरण में असमांगिकता
4. समाज को विचारधारा को स्वीकार करने में अनिच्छा
5. व्यावसायिक वृद्धि के सुअवसरों को अनुपस्थिति
6. व्यावसायिक सफलता प्राप्तकर लेने वाले लोगों के जीवनमें सुअवसर का अभाव

चौधरी, उपाध्याय (1977) ने अपनी पुस्तक "भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्यायें" में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार है :-

1. प्राविधिक विद्यालयों का अभाव
2. संकीर्ण पाठ्यक्रम
3. शिक्षकों का अभाव
4. शिक्षा का माध्यम
5. पाठ्यपुस्तकों का अभाव
6. अध्ययन समाप्ति के बादशिक्षा का अभाव
7. सुसज्जित कर्मशालाओं का अभाव
8. अपव्यय
9. सरकार, उद्योग तथा व्यावसायिक शिक्षा में असहयोग
10. प्रवेश संबंधी असमंजनता

अग्रवाल, अग्रवाल (1987) ने व्यावसायिक शिक्षा की मंद गति से प्रगति के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी बताया है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के मंदर गति के उत्तरदायी समस्यायें एवं तत्व इस प्रकार है -

1. व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में शुद्धता व स्वच्छता की कमी।
2. व्यावसायिक शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति का न होना
3. व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा विद्यालयों में होना।

4. व्यावसायिक धाराओं की प्रकृति अन्य विषयों के संबंध में विरोध दृष्टिकोण रखना ।
5. व्यावसायिक शिक्षा का मानवीय शक्ति से संबंधित न होना
6. अपर्याप्त वित्तिय सहायता
7. प्रबंधकीय व्यवस्था काअभाव
8. व्यावसायिक कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में (बदल देना, परिवर्तन कर देना)
9. केन्द्रीय सरकार की निष्फल (निष्क्रिय) भूमिका ।
10. राज्यों के मध्य उत्साहवर्धन की कमी
11. +2 स्तर पर या तकनीकी विषय में मतभेद की भूमिका
12. व्यावसायिक शिक्षा एजेंसियों के मध्य संबंधों की कमी
13. व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों का अव्यवस्थित सर्वेक्षण
14. पाठ्यक्रम योजना उप नियोजित (अनुमानित) होना
15. विद्यार्थियों के चयन की वैज्ञानिक विधियों का अभाव
16. शैक्षिक तैयारी का अभाव
17. समाज सेवी एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के लिए निर्धन
18. भवन व उपकरणों का अभाव
19. कार्य प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव
20. स्कूल छोड़ने वालों के लिए प्रावधान की कमी
21. विशेष विषय समूह को नकारना ।
22. स्त्रोतों का सही उपयोग का अभाव
23. व्यावसायिक कोर्सों में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव
24. प्रयासों को दोहराने की प्रणाली
25. विद्यालय और नियोजनकर्ता (नियोक्ता) के मध्य संबंध का अभाव
26. सामुदायिक स्त्रोतों के उपयोग का अभाव
27. (प्रशिक्षकता) शिक्षार्थी का प्रशिक्षण काल में सुअवसरों की अपर्याप्तता ।

28. प्रबंध संबंधी निर्देशन अप्रभावकारी
29. कम अनुसंधान
30. ऋण-सुविधाओं का अभाव
31. वित्तीय प्रबंध की समस्यायें
32. व्यावसायिक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की योग्यता के स्तर को किस स्तर पर रखा जाए या किस योग्यता के बराबर रखाजाए ?
33. व्यावसायिक शिक्षा को अन्य शिक्षा से कम महत्व
34. अप्रभावी फीड बेक
35. लोगों की उदासीनता (उपेक्षा या अपक्षपात)

उपरोक्त सभी समस्यायें वाणिज्य संबंधी व्यावसायिक शिक्षा पर एवं अकादमिक शिक्षा पर ही लागू होती है ।

2.5.2 वाणिज्य की अकादमिक शिक्षा की समस्यायें

वाणिज्य संबंधी अकादमिक शिक्षा के संबंध में कोई शोधकार्य शोधकर्ता को प्राप्त नहीं हो सका । जिसका यहां विवेचन कर सकें ।

सामान्यतया अकादमिक धारा के सभी विषयों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे शिक्षकों, पाठ्यक्रमों, निर्देशन, मूल्यांकन, व्यवस्था, उपकरणों, पुस्तकालय आदि से संबंधित हैं । वाणिज्य के अकादमिक धारा को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है । उपरोक्त के अलावा सामान्य शिक्षा की समस्यायें जो पहले वाले अध्याय में लिखी गई है । "माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के संबंध में एक शोधकार्य दवे और जैन (1968) में किया गया था जो पहले अध्याय में लिखा गया है । इसकी सभी समस्यायें वाणिज्य की अकादमिक शिक्षा पर भी लागू होती है । इसलिए उन्हें यहां दुबारा दोहराने (लिखने) की आवश्यकता नहीं है ।

..0..